रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 1973/ज्यैष्ठ 8, 1895

No. 124] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 1973/JYAISTHA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

2/7/73

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May 1973

No. R.S. 173/73-L.—The following order by the President, dated the 28th May, 1973, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby Summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 23rd July, 1973, at New Delhi.

The 28th May, 1973. V. V. GIRI,
President."

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1973

संख्या आर० एस० 1/3/73–एल०—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 28 मई, 1973, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया गया है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा राज्य सभा को सोमवार, 23 जुलाई, 1973 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमन्त्रित करता हूं।

28 मई, 1973. वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति।"

बी० एन० बनर्जी, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973